

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 1983/चैत्र 2, 1905
No. 136] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH. 23, 1983/CHAITRA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1983

का. आ. 204(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग
(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक
विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 852(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./77,
दिनांक 23 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त आदेश में “सदस्य” शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 2, 3, 6 और 7 से सम्बन्धित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा और क्रम संख्या 4 और 5 से संबंधित प्रविष्टियों को नई क्रम संख्या 2 और 3 दी जाएगी।

[फा. सं. 2/20/80-सी.यू.एम.]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

नोट :—आदेश संख्या का.आ. 266(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./78, दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को निम्नलिखित आदेशों द्वारा बाद में संशोधित किया गया है :—

- (1) का.आ. 515(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./78 दिनांक 22-8-1978
- (2) का.आ. 550(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./78 दिनांक 7-9-1978
- (3) का.आ. 591(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./79 दिनांक 23-10-1979
- (4) का.आ. 749(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./दिनांक 22-11-1979

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd March, 1983

S.O. 205(E)/18A/IDRA/83.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 266(E)/18A/IDRA/78, dated the 13th April, 1978, namely :—

In the said Order, under the heading “Members”, the entries relating to serial number 2, 3, 6 and 7 shall be omitted and entries relating to serial number 4 and 5 shall be renumbered as 2 and 3, respectively.

[F. No. 2(20)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

NOTE :—Order No. S.O. 266(E)/18A/IDRA/78 dated the 13th April, 1978 has been subsequently, amended by :—

- (1) S.O. 515(E)/18A/IDRA/78 dated 22-8-1978.
- (2) S.O. 550(E)/18A/IDRA/78 dated 7-9-1978.
- (3) S.O. 591(E)/18A/IDRA/79 dated the 23-10-1979
- (4) S.O. 749(E)/18A/IDRA/79 dated 22-11-1979.